आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा
सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 137/इंदौर/2020
निर्धारण वर्ष : 2014-15

मे. श्रीजी पॉलीमर्स (इंडिया) लि., उज्जैन	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त (सेंट्रल), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएआईसीएस 6990 ई		

आ.अ.सं. 138/इंदौर/2020
निर्धारण वर्ष : 2014-15

मे. श्री पैकर्स (एमपी) प्रा.लि., उज्जैन	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त (सेंट्रल), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएओसीएस 8057 एन		

अपीलार्थियों की ओर से	श्री अर्पित गौर, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री एस.एस.मंत्री, आयकर आयुक्त-विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	23.06.2021
उद्घघोषणा तिथि	24.06.2021

आदेश

सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए अलग-अलग निर्धारितियों द्वारा यह अपीलें विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त (सेंट्रल), भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा

263 के अधीन अलग-अलग आदेश दोनों दिनांक 22.03.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दिनांक 17.06.2021 के माध्यम से निवेदन किया कि निर्धारिती आवेदन में उल्लिखित कारणों से वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने के इच्छुक नही हैं । अतः निर्धारितियों के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपीलों को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. परिणामतः, निर्धारितियों की अपीले वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं।

यह आदेश 24.06.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मनीष बोरड)	(मधुमिता रॉय)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 24.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल